हत्या कर रही है और जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका हनन करने पर तुली हुई है। इसलिये मैं आपके द्वारा बहुत ही मजबूती के साथ इस विधेयक का विरोध करता हूं और चाहता हूं यह सरकार इस को वापस लेने की कृपा करेगी। इसको वापस लेने से सरकार की प्रतिष्ठा नहीं गिरेगी, बल्कि सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जब सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो सरकार को रक्षा भी होगी वरना अगर यह सरकार चाहे कि सारी ताकत अपने हाथ में लेकर पुलिस और पुलिस की बदौलत इस देश की जनता पर शासन करे तो यह संभव नहीं है; क्योंकि यह राम का राष्ट्र है, यह कृष्ण का राष्ट्र है, यह महात्मा गांधी का राष्ट्र है, यह बुद्ध का राष्ट्र है। यहां बड़े बड़े आततायी राजाओं का विरोध हुआ है. बड़े-बड़े आततायी राजाओं का नाश हुआ है। इसलिये जो मौजूदा इन्दिरा सरकार है इसकी कोई ताकत नहीं है। यह सरकार कितने दिनों तक रह पायेगी। हम यह ओम् मेहता से भी कहना चाहते हैं और माननीय मंत्री जी जो इस विधेयक को इस समय चला रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में अब उनके लिये कोई सुरक्षा नहीं है, कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद भी उनकी कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिये वह समझदारी की बात करें, जनतन्त्र की अवहेलना न करें और ऐसे बेहूदा विधेयकों को इस सदन में प्रस्तुत करने की कुचेष्टा न करें। यह काला विधेयक है, इस काले विधेयक में सारी ताकत सरकार के हाथ में सौंप रहे हो। यह तानाशाही व्यवस्था का नाम होगा, इसको जनतन्त्र नहीं कहा जा सकता। चूंकि यह विधेयक जनतन्त्र का हनन कर रहा है, इसलिये मैं इस विधेयक का घोर विरोधी हूं। फिर भी सरकार से कहना चाहता हूं, सरकार जनतन्त्रीय पद्धति और प्रणाली में आस्था प्रगट करती है तो इस विधेयक को वापस ले ले।

RE SITTING OF THE HOUSE ON 14TH NOVEMBER, 1974

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : (उत्तर प्रदेश) आपके द्वारा मैं एक बात संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आज समाचारपत्रों में आया है कि लोक सभा का अधिवेशन 13 और 14 नवम्बर, दोनों दिन नहीं होगा। तो यहां की क्या स्थिति है?

श्री ओम् मेहता : (जम्मू और काश्मीर) आप उस समय नहीं थे। लन्च से पहले हाउस एडजार्न होने के समय मैंने बताया था कि आज चेयरमैन साहब ने इस बात की अनुमति दे दी है कि 14 तारीख को राज्य सभा में छुट्टी रहेगी।

श्री राजनारायण : (उत्तर प्रदेश) 13 और 14 है तो 15 तारीख को भी एक दिन के लिये बढ़ जाये। 15 को फाइडे है। जब हम 13 और 14 को नहीं बैठ रहे तो खाली गैर-सरकारी दिन के लिये क्यों बैठें?

श्री ओम् मेहता : आडवाणी जी आपके पास बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिये।

श्री लाल आडवाणी : (दिल्ली) छुट्टी करो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजनारायण : अब अपनी तरफ से ओम् मेहता हिम्मत के साथ कह दें। अपनी बात का अनादर मत कीजिये।

श्री ओम् मेहता : वह गैर-सरकारी दिन है। चलने दीजिये।

श्री राजनारायण : वह दूसरे सप्ताह में आ जायेगा।

श्री ओम् मेहता : वह अगले सप्ताह में दुबारा कैसे आ जायेगा?

श्री राजनारायण : न आये। छोड़िये इसको

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : Let us close this subject now.

THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMDT.) BILL, 1974—*Conti.*

श्री नत्थी सिंह (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी जो विधेयक सदन के सामने है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। अभी मैंने विरोधी पक्ष के दोनों नेताओं के भाषण

[श्री नत्थी सिंह]

सुने और जनतन्त्र के ऊपर हमको सबक भी सुनाया गया। मैं पहिले श्री राजनारायण जी से और श्री आडवाणी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां माननीय श्री राजनारायण जी यह कह रहे थे कि इस म्युनिसिपल कारपोरेशन को पुलिस के अधिकार भी दे दिये जायें। मैं उनकी चौथम्बा राज्य की बात को जानता हूं, क्योंकि वे इस बात को कहते रहते हैं, लेकिन जो उनके जनसंघ के नेता हैं, वे तो हिन्दुस्तान में यूनिटरी सिस्टम आफ गवर्नमेंट को नहीं चाहते हैं और न फैडरल सिस्टम आफ गवर्नमेंन्ट की बात चाहते हैं। इन दोनों पार्टियों में आपस में इस बारे में ही मतभेद हैं और वे एक मत के नहीं है।

श्री राजनारायण : (उत्तर प्रदेश) इन्दिरा नेहरू की सरकार का नाश करने में हम दोनों ही खूब एकमत है।

श्री नत्थी सिंह : आप इस तरह से श्रीमती इन्दिरा नेहरू की सरकार का नाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना नाश कर रहे हैं। आप जिस बिहार के आन्दोलन की बात कर रहे हैं, उस बात से अपोजीशन वाले अपना ही नाश कर रहे हैं।

(*Interruptions*)

श्री राजनारायण : श्रीमन्, श्री बरुआ जी ने अभी पटना में गफूर से कहा कि मैं तो नौकरी से निकाल दिया गया हूं। और तुम भी नौकरी से निकाल दिये जाओगे। *Interruptions* All these words were uttered by Mr. Borooah at Patna.

श्री नत्थी सिंह : श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विरोधी दल के लोग हर विधेयक को काला विधेयक कहने लगे हैं और हर विधेयक को बेहूदा विधेयक कहने लगे हैं। वे अपने गरेबान में झांक कर देखें कि वे अपने दायित्व को पूरा कर रहे है या नहीं? क्या वे अपनी इन्हीं बातों से एक स्वस्थ जनतन्त्र बनाना चाहते हैं? अब यह कहा जाता है कि इलैक्शन कमीशन के बजाय एक डायरेक्टर आफ इलैक्शन फार म्युनिसिपल कारपोरेशन बना दिया जाये। यह बात कौन कह रहा है? मैं आपके बराबर पढ़ा-लिखा तो नहीं हूं। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिये। कौन लोग ये बात कह रहे हैं? ये लोग वही हैं जिन्होंने इस सदन में बारबार यह कहा था कि हमारे यहां जो इलैक्शन कमीशन है, वह स्वतन्त्र नहीं है। इलैक्शन कमीशन इलैक्शनों में रेगिंग करता है। इलैक्शन कमीशन ने विदेशों से स्याही मंगवाई है जिससे बैलट पेपरों को बदल दिया जाता है। इस तरह के गलत और झूठे आरोप लगाये गये और वही आदमी, वही व्यक्ति आज इस सदन में यह कहता है कि इलैक्शन कमीशन द्वारा सारी बात ठीक नहीं होती है तो दूसरा इलैक्शन अधिकार बना दिया जाये। इस तरह की बातों से वे अपने आपको एक्सपोज करते हैं। एक तरफ तो वे कहते हैं कि उनका इलैक्शन कमीशनर पर विश्वास नहीं है, केन्द्रीय सरकार पर विश्वास नहीं हैं और न ही राज्य सरकारों पर विश्वास है। यह चीज इस बात का प्रतीक है कि उन्हें अपने आप पर ही कतई विश्वास नहीं है और इसी वजह से वे इस प्रकार की बातें सदन में कहा करते हैं। मैं जानता हूं कि यह विधेयक कितनी छोटी बात चाहता है, यह विधेयक यह कहता है कि अगर संसद् की निर्वाचक नामावली सही है तो उसको भी म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव के लिये आधार माना जा सकता है। अगर उसमें कोई कमी है तो उसके लिये यह व्यवस्था की जा रही है ताकि उस कमी को दूर किया जा सके और चुनावों में देर न हो और वे समय पर हो सकें। अगर इलैक्शन कमीशन किन्हीं दूसरे कामों पर, पार्लियामेंट के इलैक्ट्रोरोल तैयार करने में व्यस्त है और दिल्ली कारपोरेशन के चुनाव समय पर हो जायें, उस चीज के लिये यह व्यवस्था की जा रही है। इस चीज को वे एक बड़ी बुरी बात मानते हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि जो लोग अन्धेरे में हाथ पैर मारते हैं, उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि इलैक्शन कमीशन नामावली किस प्रकार से तैयार करवाता है। चाहे असेम्बली या पार्लियामेंट के लिये निर्वाचन नामावली तैयार करने का कार्य क्यों न हो, अगर इसके लिये कोई डायरेक्टर भी नियुक्त किया जाता है तो वह भी कलैक्टर और दूसरे अधिकारियों द्वारा ही इस कार्य को करवायेगा और शुद्ध करवायेगा। तब आप कैसे कहते हैं कि डायरेक्टर नियुक्त करने से सारा

चुनाव गड़बड़ हो जायेगा। अगर हमें स्वायत्त शासन संस्थाओं को मजबूत बनाना है तो निश्चित रूप से हमारा और सरकार का यह दायित्व होना चाहिये कि समय पर शुद्धता से चुनाव हो जायें और यही इस विधेयक के पीछे मंशा है। इलैक्शन कमीशन पार्लियामेंटरी इलैक्शन्स में व्यस्त हो तब भी दिल्ली कारपोरेशन के चुनाव रुके नहीं इसीलिये यह व्यवस्था की गई है। इलैक्टोरल रोल शुद्ध करा लिया जाये, समय पर पब्लिश करा दिया जाय, समय पर चुनाव करा लिया जाय, इसमें कौन सा दोष हो गया, जिससे आपने कहा कि यह काला विधेयक है, बेहूदा विधेयक है। यह कह कर न आपने अपने साथ न्याय किया है, न सदन के साथ न्याय किया है।

अब तक यह था कि कहीं 55 हजार वोटर हैं, तो कहीं 22 हजार वोटर हैं। इसमें व्यवस्था है कि समान जनसंख्या वाले वार्ड बना दिये जायें, जिनसे कारपोरेशन के सदस्य चुने जायें। यह तो भलाई की बात है।

आपने कहा कि हमारी स्वायत्त शासन संस्थायें शुद्ध बनें, सबल बनें। जनसंघ को मौका मिला है हिन्दुस्तान की राजधानी के कारपोरेशन पर उनका कब्जा है। आप चाहते हैं कि कारपोरेशन को ज्यादा ताकत मिले। आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंटस के ऐब देखते हैं। जहां वे लोग शासन में आते हैं उनको निश्चित रूप से देखना है कि उनका शासन सत्तारूढ़ पार्टी के शासन से बढ़िया है, अच्छा है। अगर उन्होंने ऐसा किया तब तो यह बात सही होगी कि उनको ज्यादा स्वायत्तता दी जाये। अगर इससे उल्टा होगा तब तो देखना होगा कि क्या किया जाये। जहां कहीं वे पावर में है वहां उनका जिम्मा है कि ज्यादा ईमानदारी हो, ज्यादा स्वच्छता हो।

जब कभी कर्मचारियों के आन्दोलन की बात होती है, कर्मचारियों के हितों की बात होती है तो जनसंघ के लोग भी पीछे नहीं रहते, अपनी आवाज बुलन्द करने में, लेकिन हम यह देखते हैं कि जिस कारपोरेशन में जनसंघ बैठा है वहां के कर्मचारियों का प्रोवीडेन्ट फंड जमा नहीं कराया जाता है बैंक में।

श्री सुब्रमण्यम् स्वामी (उत्तर प्रदेश) : गलत है।

श्री नत्थी सिंह : आज तक बैंक में जमा नहीं कराया गया। मैं पूछना चाहता हूं प्रोवीडेंट फंड कमिश्नर से कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : On a point of order. Mr. Vice-Chairman) he has said that the Municipal Corporation has not paid the provident fund of the employees of the Municipal Corporation. I would like him to state one document in support of this baseless and false allegation.

श्री नत्थी सिंह : आप बिना आधार के कह रहे हैं। मेरे पास डाकूमेंट्स हैं। आज तक बैंक में जमा नहीं कराया गया। शिकायत यह है कि आज तक प्रोवीडेंट फंड कमिश्नर ने उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की।

इसके साथ-साथ दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़ी शुद्धता और सफाई की बात कहते हैं, प्राइमरी एजूकेशन का जिम्मा आपके ऊपर है। प्राइमरी टीचर्स की दशा आपने कितनी सुधारी, कितना ध्यान दिया उनकी तरफ? जो पैसा उनकी तरफ लगना चाहिये था वह नर्सरी स्कूल खोलने में लगाया गया, पार्टी को मजबूत करने के लिये, अपने लोगों को प्रश्रय देने के लिये, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये। जो विरोधी दल कहता है कि अकेले चलेंगे वह हारने के बाद जयप्रकाश जी के पीछे चलता है। कारपोरेशन में वह दल क्या करता है? जो जमीन अलाट की जाती है स्पेसिफिक परपजेज के लिये उसका नीलाम किया जाता है गैर-कानूनी तरीके से। दो करोड़ आपके पास आता है। वह किस काम में लगाया जाता है। उसकी जो रकम है उन्होंने खुद कहा है। हमने अनियमिततायें की हैं, अगर अनियमिततायें नहीं होतीं तो निश्चित रूप से हम 45 लाख रुपया दिल्ली शहर की एमेनिटीज को बढ़ाने के लिये लगा सकते थे। लेकिन वह तो करते नहीं। तो मेरा आपके माध्यम से

[श्री नत्थो सिंह]

निवेदन है कि अगर हम चाहते हैं कि इस देश में स्वायत्त शासन संस्थायें मजबूत बनें, उसे अधिकार अधिक मिलें, मैं चाहता हूं कि ग्राम पंचायत गांव की सुदृढ़ ईकाई हो, सारी पावर्स उसको मिलें, नगर-पालिका अपने इलाके की सुदृढ़ ईकाई हो, लेकिन उसके साथ-साथ यह दायित्व भी उनके ऊपर रहे कि जो रोज जनतन्त्र की बात कहते हैं, जनतन्त्र में अपनी बात कह जायें और दूसरों की सुनें नहीं, इससे घोर अजनतन्त्रवादी कोई नहीं होता। जैसे हमारे श्रीमान कह गये और चले गये। अपनी बात कही लेकिन दूसरों की बात सुनने के लिय तैयार नहीं। इसलियें यह बहुत जरूरी है कि जहां पर विरोधी दलों को यह मौका मिला हो कि वह अपनी सरकार बनायें, वहां पर वह यह करके दिखायें कि जहां हमें मौका मिला है वहां हमने ईमानदारी से काम चलाया है और जनता की भलाई के लिये किया है।

यहां पर दिल्ली कारपोरेशन को भी अपाइंटमेंट्स में अधिकार दिय गये हैं। यू० पी० एस० सी० कहता है कि ऐसा मत करो, विजिलेंस कमीशन कहता है कि मत करो, लेकिन न विजिलेंस कमीशन की परवाह की जाती है, ना यू० पी० एस० सी० की परवाह की जाती है, कहते हैं हम तो एड हाक अपाइंटमेंट करेंगे। रोज यहां आवाज उठाते हैं। लेकिन जब जनसंघ को मौका मिलता है वहां करने का तो वह स्वयं विजिलेंस कमीशन की राय को ठुकरा देते हैं और एडहाक अपाइंटमेंट्स करते हैं उनकी राय के खिलाफ करते हैं। आखिर हम कौन सा जनतन्त्र इस देश में लाना चाहते हैं?

हमने इस विधेयक में यह बात देखी है कि जो स्वायत्त संस्थायें सारे देश में कायम हैं, पंचायतें हैं, म्यूनिसिपलटीज हैं उनके चुनाव बढ़ा दिय जाते हैं समय पर नहीं होते। अगर वह समय पर न हों तो वह स्वायत्त संस्थायें कमजोर होती हैं। सबसे बड़ा उनको गिराने का जो तरीका है वह समय पर चुनाव न कराना है। आज इस विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि हर हालत में चुनाव समय पर करा दिया जाये।

अभी हमारे वी० एल० डी० के नेता भी कह रहे थे कि नाम तक वोटर लिस्ट में से निकलवा दिये जाते हैं। नाम जब लिखे जाते हैं तो 30 दिन की मियाद दी जाती है। उसमें ऐतराज करने का अधिकार है। हम जनतन्त्र के इतने सजग प्रहरी हैं, हम जनतन्त्र का ठेका लिये बैठे हैं, हमको इतना होश नहीं है कि लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं देख लें? ऐसे जो लोग सोये हुये हैं, ऐसे आदमी हिन्दुस्तान के पहरेदार हो सकते हैं। जो अपनी खबरदारी नहीं कर सकता वह दूसरे की खबरदारी कभी नहीं कर सकता है, दूसरे का खबरदार नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि गैर जिम्मे-दार व्यक्तियों से कभी भी जनतन्त्र का भला नहीं होता, जनतन्त्र के लिये ये शोभनीय नहीं हैं। इस लिये इन सारे विरोधों के बावजूद सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि हमें इस इन्नोसेंट विधेयक का स्वागत करना चाहिये और समर्थन करना चाहिये ताकि स्वायत्त संस्थाओं के ठीक समय पर चुनाव हो सकें।

आपने कहा कि 4 करोड़ रुपया दिया। उससे भी ज्यादा दिल्ली की कारपोरेशन को दें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है लेकिन जो पैसा मिले वह जनता की सुख सुविधाओं के काम में लाया जाना चाहिये। आप कहते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट शासन को अपने हित के काम में लगाती है। जनसंघ को अगर राज मिल गया तो सारी मशीनरी को जनसंघ सड़कों के काम में लगा देगी तो आप कैसे जनतन्त्र को मजबूत करोगे? इसलिये मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है, उस पर पुनर्विचार करें और इस विधेयक को एकमत से पास करें।

SHRI F. H. MOHSIN: I am thankful to the Members who have taken part in this debate. I would like to reply to Shri Advani who has opposed the Bill and has raised some points regarding this Bill.

The first point that he made was about consultation with the Delhi Municipal Corporation before bringing forward this Bill in the House. There is no Constitutional obligation on the part of the Government

to consult the Delhi Municipal Corporation. Even so, we consulted the Delhi Administration where Shri Advani's Party is well represented ...

SHRI LAL K. ADVANI : No.

SHRI F. H. MOHSIN : We consulted the Delhi Administration and it was very much discussed with them. The Jan Sangh Party people have taken part in the discussion which appeared also in the press. Also, we have listened to the arguments made by Shri Advani. Even so, they have not given any amendment to the Bill. That shows that they have no serious objection to the Bill.

SHRI LAL K. ADVANI: We oppose it outright and therefore no amendments.

SHRI F. H. MOHSIN : Sufficient opportunity was there for the Delhi Municipal Corporation to give their views because everything appeared in the press and the Bill was introduced in the last session. After that so much time has lapsed. We have not received any comments from the Delhi Municipal Corporation in that regard.

Shri Advani made another point about the population. He asked what will be the population of each ward after this Bill is enacted. Of course, as the Act stands today the maximum population of each ward is 20.000 population. But this figure is not adhered to. Even when the last ele.C' tion took place, the population was in some cases, as Shri Advani himself pointed out, even 50,000. But it is exactly to eliminate this disproportion in some areas that this Bill has been brought forward. After this Bill is enacted, we want to see that as far as possible every ward has got more or less the same population. But I do not think that the population will be a? large as Shri Advani fears it to be. The population of Delhi is 37.70,000. For 100 members it works out to 37,700 population for each Corporation member. And 50 per cent of them will be voters. That means in each ward about 20,000 voters will be there and they will be represented by one Corporator. By any stretch of imagination it cannot be said that it is a very big constituency for electing a representative. Even compared to other Corporations, I do not think it is a very large population. There is, thus, no case for increasing the number of Corporators on that ground.

Shri Advani also mentioned about the finances of the Delhi Municipal Corporation. It is true that their financial condition is not a very happy one. It is due to the inability of the Delhi Municipal Corporation to levy taxes even though it was recommended by a Commission. I think it was Shri Gopala Reddy who was first appointed in the Commission to go into the finances of the Delhi Municipal Corporation. Later Shri R. R. Morarka went into this question and submitted a very useful report wherein he had said that there are some possibilities for increasing the revenues of the Delhi Municipal Corporation.

The Commission submitted its Report in 1968 and most of the recommendations of the Commission for generating extra-domestic resources were not accepted by the Corporation. The Delhi Administration and the Central Government had raised the entertainment tax, motor vehicles tax and the terminal tax as recommended by the Commission thus increasing the share of the Corporation in the assigned taxes. But the Corporation itself did not take any action for improving its financial position. I do not know why they are shy of increasing the taxes. I think it is the lowest compared to what is prevalent in any other metropolitan city in India. It is the lowest here and they could have increased it.

SHRI LAL K. ADVANI: I don't think this is correct.

SHRI F. H. MOHSIN: But this is my information. And, Sir, there is the possibility of increasing the revenues so that they would be able lo do more workj, There is another thing aho. What they do is that they inflate the estimate of income and based on that income they have the expenditure programme and so, when they

[Shri F. H. Mohsin]

are faced with a deficit, they ask. for more grants from the Central Government and this is what they have been doing thus bringing the Corporation into a very bad financial condition. Even so, Sir, the Government has been very generous in making grants available to the Corporation. Perhaps no other State Government has made so much grant as the Central Government has made to the Corporation here. I would like to state (his also that the percentage of grants, the proportion of grants to income, during the period in Bombay was 1.94, in Madras 6.51, in Poona 6.67 and so on. But the proportion in Delhi is 22 per cent of the total revenue receipts of the Corporation which the Central Government has been making. You should, therefore, appreciate the Central Government's large-heartedness in coming to the aid of the Corporation. Even the grants which were released for the Municipal Corporation in 1973-74 for non-plan educational schemes amounted to Rs. 368 lakhs and for plan schemes on education they were Rs. 401.56 lakhs. And, Sir, for this financial year 1974-75, we have made grants for non-plan purposes to the extent of about Rs. 190 lakhs and for plan expenditure to the extent of Rs. 86.75 lakhs. So, these figures are enough to show that the Central Government has come to its aid. But the Delhi Corporation is very shy of building up its own resources. I think they could do better by increasing their own resources. They have some programmes also and, as was pointed out by Mr. Alam Khan and Mr. Singh, there are various fields in which they can work such as education, drinking water supply and health schemes etc. In Old Delhi, the sanitary conditions are very bad and the conditions in the primary schools are very bad and there are no buildings also. So, they can attend to these things by increasing their own resources which they are not doing.

Then* Sir, Mr. Advani mentioned about the revision of the electoral rolls and also about the appointment of a Director of Elections. I might add that Mr. Rajnarain also mentioned that the Government is appointing the Director of Elections and so, there is governmental interference. I can say that even under the present Act, it is the Commissioner who is being appointed by the Government and he can be removed by the Government.

SHRI LAL K. ADVANI: My point is this: You are appointing the Director of Elections for the superintendence and guidance of the elections and thus you are taking away the powers from the Corporation and giving them to the Central Government. Why ?

SHRI F. H. MOHSIN: I am replying to Mr. Rajnarain's point. Even now the Commissioner is being appointed by the Government and he can also be removed by the Government, by the Government only.

SHRI LAL K. ADVANI: Therefore, you have all the powers in your hands. Why do you want to take in your hands the conduct of the elections also ?

SHRI F. H. MOHSIN: We are only taking away that function of the Commissioner and entrusting it to the Director of Elections and we do not intend making it a full-time job.

श्री लाल के० आडवाणी : आज तक क्या कोई शिकायत आई है कमिश्नर के नाम से? आज यह बिल ला कर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। इसलिये बोना-फाइड सस्पेक्टेड है।

SHRI F. H. MOHSIN: It is not so. It is our desire to entrust this work to the Chief Electoral Officer who might be called even the Director of Elections. Anyway, this fact is under our consideration. His fear is that there will be more burden on the Corporation and the Director of Election's work will be a part-time job during the time of election only...

श्री लाल के० आडवाणी: अभी की व्यवस्था में गड़बड़ क्या है, यह बताइये तो। अच्छी व्यवस्था थी तो कांग्रेस वालों ने भी शिकायत नहीं की।

SHRI F. H. MOHSIN: This is an improvement we are making. Even the argu-

ment that it would be an additional burden on the Municipal Corporation does not hold water because we expect that this job might be taken over by the Chief Electoral Officer, and with his staff he can carry on the work of revision of electoral rolls...

SHRI LAL K. ADVANI : Will there be two rolls or one ?

SHRI F. H. MOHSIN: There will be one for the Corporation. But altogether we do not .rule out the possibility of adopting Lok Sabha electoral roll. For this purpose also, there is a provision here. 1 am explaining. Now, the elections were held last time in the year 1971. That was before the Lok Sabha . . .

SHRI LAL K. ADVANI : After the Lok Sabha. . . .

SHRI F. H. MOHSIN : Electoral rolls must have been prepared a very long time back. The Corporation elections will take place in 1975. Supposing the electoral roll for the Parliamentary constituencies was not prepared by the Election Commission, what would happen? We have to hold elections on the basis of electoral rolls at present. The anomaly would be there. In some constituencies there are fifty thousand voters; in others there are only fifteen thousand voters. That would be the anomaly. We cannot hold elections on the basis of electoral rolls prepared about four or five years ago. And this anomaly, this difficulty, would always arise, because the term of the Lok Sabha is five years, whereas the term of the Corporation would be only four years. Now if we hold election in 1975, the next election vould be in 1979. The Lok Sabha election would be . . .

श्री लाल आडवाणी : सभापति जी, मंत्री जी को जानकारी होगी कि जो लोक सभा का इलैक्टोरेल रोल है वह भी कोई पांच-पांच साल में नहीं बनता है। वह भी हर साल रिवाइज् होता है। कभी इलाबोरेट रिविजन होता है, कभी छोटा होता है। इसमें 1958 से लेकर आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई है।

SHRI F. H. MOHSIN : But where is the harm if a special electoral roll is prepared for the election purposes of the Corporation? There is no difficulty at all. My friend's fear is that there would be duplication of work or waste of expenditure. 1 do not think there would be any waste of expenditure. We want to minimize expenditure and see that electoral rolls are being brought up to date.

Then, my friend also pointed out about the dispute between the NDMC and DMC about the recovery of electricity tax that was sought to be recovered from the NDMC. This is a very long standing dispute and many efforts were made to settle it, including the one which was made by the Lt. Governor himself. It was unfortunate that the NDMC did not accept it They have got some legal opinion which they quote and the Delhi Municipal Corporation also quote some legal experts in favour of their point of view. The NDMC also quotes some legal experts to support their point of view. So the point remains what has to be done in that case. Some time ago in the year 1971, both the Delhi Municipal Corporation and the NDMC had agreed to appoint an Arbitrator, a Judge of the Supreme Court, to arbitrate over this dispute. Somehow or other, that did not happen, and meanwhile the Lt. Governor was asked to bring about a compromise. Now we have seen that it has not worked well. We are expecting that the arbitration, to which both the parties have agreed, would be resorted to now. Of course, Mr. Das is no longer the Judge now; I do not think he is available now. That was in 1971. We have to think of finding soma ether Supreme Court Judge to arbitrate over this issue.

There is no law to force the N.D.M.C. or the D.M.C. to accept one decision or the other. If there is an arbitration, they have to accept it. They have already passed a resolution to agree to arbitration. I think the arbitration would be accepted by

both the parties. There are no other points left.

श्री लाल के० आडवाणी : कारपोरेशन के इलैक्शन कब करायेंगे?

श्री ओम् मेहता : पहले बच्चा होने दीजिये उसके बाद नामकरण किया जायेगा।

SHRI F. H. MOHSIN : As usual. They are to be held in 1975. It is not our intention to postpone either the Municipal elections "or to advance the Lok Sabha elections. Of course, your party is always professing that the Lok Sabha elections would be advanced. I do not think there is any truth in it. I commend the Bill for the acceptance of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : The question is :

"That the Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, be taken into consideration."

The motion was adopted,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : Now, we shall take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 to 10 *were added to the Bill*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : There is a new clause 11.

New Clauses II

SHRI F. H. MOHSIN : Sir, I beg to move :

"That at page 6, after line 49, the following new Clause be inserted namely :-

'11. *Amendment of section* 479—In section 479 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which it is, so laid or the session immediately following"', the words "or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid" shall be substituted.'

The question was put and the motion was adopted.

New Clause 11 *was added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill,*

SHRI F.H. MOHSIN : I beg to move that the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : Shall we take up the next item? Or, is it the desire of the House that we take it up next week. Tomorrow we are having Bihar.

The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at thirty-nine minutes past four of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 12th November, 1974.

MGIPRRND—75 RSS/74—Sec. H(NS)—24-1-75—595.